

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 2/2022-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी, 2022

सा.का.नि. .... (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 49/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1303 (अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी- 190354/156/2021-टी.ओ.(टीआरयू-1)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 49/2017- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1303 (अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 53/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 29 सितम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 671(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।